2.00 P.M.

The House is adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at forty-three minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदय, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह अंतरिम बजट है, इसको रख लेने दो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं रखने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाषण हुआ ही नहीं।

श्री उपसभापति : कौन सा भाषण।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभिभाषण।

श्री उपसभापति : अभी नहीं।

THE INTERIM BUDGET (JHARKHAND), 2009-2010

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) : Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the State of Jharkhand for the year 2009-2010. [Placed in Library. *See* No. L.T. 10517/09]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (JHARKHAND) 2008-2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) : Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for the year 2008-2009. [Placed in Library *See* No. L.T. 10518/09]

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Jai Prakash Aggarwal...*(Interruptions)*... Please move the Motion ...*(Interruptions)*...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर मूव करने के लिए आपने इजाजत दी है। मैं पोइंट ऑफ् आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : बताइए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपसभापति महोदय, यह बात सच है कि 12 फरवरी, 2009 को संयुक्त अधिवेशन में माननीया राष्ट्रपति महोदया ने अभिभाषण किया और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव आपकी अनुमति से जायसवाल जी ला रहे है। किंतु मेरा यह कहना है कि वह अभिभाषण अभिभाषण ही रहे, मैं आपके सामने विधान को कोट करना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : आपका पाइंट ऑफ् आर्डर क्या है, वह तो बताइए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वही तो बतला रहा हूं।

उपसभापति : रूल बताइए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रूल बतला रहा हूं। कंस्टीटयूशन ऑफ इंडिया का रूल-87A है।

श्री उपसभापति : बोलिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रूल-87A में "At the commencement of the first session of each year, the President shall address both the Houses of Parliament assembled together and inform Parliament of the causes of its summons".

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सारा भाषण आद्योपांत पढ़ा है। यह causes of summons उसमें कहीं नहीं है। इस प्रावधान के अंतिम अंश causes of summons की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TARIQ ANWAR (Maharashtra) : He is wasting time. That is all ...*(Interruptions)*... He is unnecessarily wasting time.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu) : Sir, he is reading it out from the Constitution ....*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : causes of summons का।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, मैं बतला रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए पूरा। मैं इर्रिलिवेंट बोलूंगा बतला दीजिए। उपसभापति महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रावधान में यह जो obligatory for our President to address the House only at the commencement of the first session after a new Parliament is elected and at the commencement of the first session each year. यानी यह ऑबलीगेटरी है, सम्मन के बारे में बताना कि वह क्यों सम्मन आहूत कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर बासु कमेंट्री पेज 129 पर देख लें। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान इंग्लैंड की संसदीय परम्परा से लिया गया है। इंग्लैंड में ...**(व्यवधान)**...

SHRI PAWAN KUMR BANSAL : Sir, I don't want to interrupt. But, I think, I have to. A point of order arises when there is a violation of a rule or the rule or the infringement of any rules...*(Interruptions)*

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI : Let me complete....*(Interruptions)* सर, विधान का ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह ठीक है...(व्यवधान)...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : ... and the rules to that effect have to be cited...*(Interruptions)*... What he has said here is that the last part...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I know. I have asked him to cite the rules of procedure.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, the fact remains that on the orders of the President the Parliament was summoned, the summons were issued and summons were received by the Members, and thereafter...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You are right.

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI : Let me hear what exactly he means.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Let me complete, Sir.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, मैं दो मिनट का समय लेना चाहता हूं। कांस्टीटयुशन सबसे ऊपर है, परन्तु कांस्टीटयुशन के 87(1) के प्रावधान मे इस बात की चर्चा की गई है, इसलिए मै कोट कर रहा हूं। उस पर कमेंट्री बसु जी की पेज 129 पर है। It says, Not only is the Parliament summoned by the Crown, neither House can proceed with any business until the Crown has declared to the House the causes of summons. The speech from the Throne is now used for political purposes by the Cabinet to announce ministerial policies, both external and internal, including the legislative programme. इसीलिए सदन आहूत करने के कारण बताना अनिवार्य बताया गया है। "The causes of summons" means that the head of the executive ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : नही, देखिए चतुर्वेदी जी, the causes of summons are absolutely there. The legislative business is there.

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI : There is no business.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You can say that there is no business. We have started our business. Please, there is no point of order...*(Interruptions)*... There is no point of order...*(Interruptions)*...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, मै आपको न्यायालय के निर्णय को बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : देखिए, आप कंस्टीटयुशन को कोट कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... मैंने आपसे कहा कि ...**(व्यवधान)**... the President has summoned the House.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, मैं दो मिनट का समय लेना चाहता हूं। आप दो मिनट का समय तो निर्णय लेने के लिए ले लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : देखिए, आप पॉलिसी मैटर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**... I will not be able to give in ...(Interruptions)...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, मेरा कहना यह है कि दो मिनट का समय मात्र अपना निर्णय देने के लिए ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : मैंने आपको दो मिनट का समय दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, मैं दो मिनट का समय इसलिए चाहता हूं कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि न्यायालयों में निम्न मामलों में निर्णय किया है, जिससे इस अनिवार्य की पुष्टि होती है कि कॉजिज़ ऑफ सम्मन्स क्या हैं? Please see the cases of Sudhakar vs. Orissa Legislative Assembly, A 1952 Ori. 234; Yogendra vs. State, A 1967, Rajasthan 123, and Karpoori vs. Ghafoor, A 1975, Patna. मैं चाहता हूं कि आप इनकी पूरी स्टडी करने के बाद अपना निर्णय दें। सर, मै एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं कौल एंड शकधर की पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में की गई व्याख्या पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसके पेज 25, 26 पर वह है-

"At the commencement of the first session after each General Election to Lok Sabha and at the commencement of first session of each year, the President addresses both Houses of Parliament assembled together and informs Parliament of the causes of its summons".

"The Speaker can't provide business for the assembly, nor can the Chairman provide it. The business has to be provided by the Executive, that to say, the Prime Minister who is going to advise the President to summon the legislature."

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आहूत करने के समय क्या-क्या बिजनेस है, उन बातों की चर्चा निश्चित रुप से अभिभाषण मे की जानी चाहिए, वरना यह अधूरा अभिभाषण है और अधूरे अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार करना संगत नही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is your opinion. Now these is no point of order because the House was summoned according to the Constitution. There is a List of Business for the House. The Government has taken note of all the things. There is no point of order.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

SHRI JAI PARKASH AGGARWAL (NCT of Delhi) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I move that an Address be presented to the President in the following terms :-

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 12, 2009."

सर, मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो अभिभाषण राज्य सभा और लोक सभा, दोनों सदनों के मैम्बर्स के सामने रखा, वह इस देश के लिए एक दिशा और निर्देश है कि किस तरह हमारी सरकार पांच साल चली, क्या रास्ता हमने चुना और कैसे हमने उसे तय किया। अगर आप उनका 2004 का अभिभाषण पढ़े, तो यह लगेगा कि जिस समय वह सरकार आई थी, उस समय उन्होंने यह चुना था कि हमें अपनी आज़ादी को बचाकर रखने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं, जिससे हम एक अच्छा रास्ता तय कर सकें और हमारा देश मजबूत हो। सर, लोकतंत्र में सरकारें आई भी हैं, बनी भी हैं और चली भी है तथा उनका कार्यकाल भी पूरा हुआ है। जिस समय इस देश को सन् 1947 में आजादी मिली, हमारा रास्ता शायद बड़ा कठिन था, लेकिन मन में एक भावना थी कि अपने देश को जो आजादी मिली है, इसे बरकरार रखना है और बचाकर ले जाना है। आज जब हम सरकार में हैं और हमने फैसले लिए हैं, तो आज भी वह ज़ज्बा हमारे अंदर है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए खून बहाया, अपनी जान दी और देश को आजाद कराया, तो आज जब हम सरकार में रहते हुए कोई फैसला लेते हैं, तो यह सोचते हैं कि हमारा लोकतंत्र कैसे बचेगा, किस तरह हम उस रास्ते पर चल पाएंगे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले और हमारा देश खुशहाल हो। सिर्फ सरकार मे बैठकर यह नहीं हो सकता कि हम किस तरह पैसे का बंटवारा करें और हमारा काम पूरा हो जाए। शायद जब सरकारें आती हैं, तो एक भावना होती है, अलग-अलग मल्टी-पार्टी सिस्टम है, सबका अपना वोट मांगने का तरीका हो सकता है, लेकिन जब हम सरकार में आने के लिए वोट मांगते हैं, तब हम यह कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों को लागू करेंगे जिनसे हम अपने देश को आगे ले जा सकें। हम दुनियां की इस दौड़ में कहीं पीछे न रह जाएं और उन मुद्दों को उठाते हैं, जो देश के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। सर, इसी तरह 2004 में जब चुनाव हुए और श्रीमती सोनियां गांधी के नेतृत्व में कुछ मिली-जुली पार्टियो के सहयोग से यूपीए का गठन हुआ, कुछ मुद्दे जो चुनाव से पहले भी उठाए गए थे, उन मुद्दो को साथ में रखकर और निगाह मे रखकर, यूपीए का गठन किया और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। कुछ लोग सरकार मे साथ थे और कुछ पार्टियों ने बाहर से समर्थन किया। जो साथ थे, वे आज भी साथ हैं, लेकिन उस समय जो बाहर से समर्थन कर रहे थे, वे आज शायद बाहर हैं। लेकिन सरकार आज भी उतनी मजबूती के साथ खड़ी है